



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पुनर्विलोकन याचिका सं. 422/ 2025

संजीव कुमार यादव, पिता- परमेश्वर यादव, आयु- लगभग 48 वर्ष, निवासी- महापात्रे कॉलोनी, जशपुर नगर, तहसील व जिला- जसपुर (छ.ग.)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर,

जिला- रायपुर (छ.ग.)

2 - आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर, सरगुजा, छ.ग.

3 - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर, जिला- जशपुर (छ.ग.)

4 - विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा, जिला- जशपुर (छ.ग.)

5 - सहायक आयुक्त, आदिम जाती कल्याण, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रोहिताश्व सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादियों की ओर से : श्री यू. के. एस. चंदेल, उप महाधिवक्ता



माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश
पीठ पर आदेश

द्वारा- श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

15/12/2025

1. यह पुनर्विलोकन याचिका याचिकाकर्ता द्वारा रिट अपील सं. 184/2025 में इस न्यायालय द्वारा पारित 18.03.2025 दिनांकित आदेश का पुनर्विलोकन किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता ने आयुक्त, सरगुजा संभाग, स्थान अंबिकापुर और जिला पंचायत, जशपुर द्वारा पारित 02.04.2018 और 18.09.2017 दिनांकित आदेशों जिनमें याचिकाकर्ता को विभागीय जांच में दोषी ठहराया गया था और संचयी प्रभाव के साथ चार वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई थी को चुनौती देते हुए रिट याचिका (सेवा) सं. 3492/2018 प्रस्तुत की थी। आदेशों को रिट याचिका (सेवा) सं. 3492/2018 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि याचिकाकर्ता को साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और उसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और मनमानेपन को दर्शाता है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और अपीली प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, रिट याचिका को 23.01.2025 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।



3. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 23.01.2025 दिनांकित आदेश को रिट याचिका सं. 184/2025 में चुनौती दी गई थी। पक्षों को सुनने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखते हुए 18.03.2025 दिनांकित आदेश के माध्यम से उक्त रिट अपील को भी खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता ने रिट अपील सं. 184/2025 में इस न्यायालय द्वारा पारित 18.03.2025 दिनांकित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सिविल) सं. 16712/2025 (संजीव कुमार यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य) प्रस्तुत की, जिसे भी 08.08.2025 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति (संक्षेप में "विशेष अनुमति याचिका") को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ता ने रिट अपील सं. 184/2025 में पारित 18.03.2025 दिनांकित आदेश के पुनर्विलोकन हेतु वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की है।

5. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के बाद भी पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका को गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि संक्षेप में खारिज किया गया है। **“खोड़े डिस्टिलरीज़ लिमिटेड व अन्य बनाम श्री महादेश्वर सहकार सक्कारे कारखाने लिमिटेड”** सिविल अपील सं. 2432/2019 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 01.03.2019 दिनांकित निर्णय को संदर्भित करते हुए वे निवेदन करते हैं कि चूंकि विशेष अनुमति याचिका गुण-दोष के आधार पर निर्णीत नहीं की हुई थी, इसलिए इस न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन याचिका पर विचार किया जा सकता है। आगे वे निवेदन करते हैं कि 18.03.2025 दिनांक आदेश की कण्डिका 5 में, यह टिप्पणी कि, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि याचिकाकर्ता द्वारा 09.06.2016 को जांच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त की गई थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है और अभिलेख



के विपरीत है तथा 18.09.2017 दिनांकित आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कभी भी जांच प्रतिवेदन प्रदान नहीं की गई थी। 18.09.2017 दिनांकित आदेश याचिकाकर्ता को अवसर दिए बिना पारित किया गया था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध संचयी प्रभाव के साथ चार वेतन वृद्धि को रोकने की एक वृहद शास्ति पारित की गई है, अतः रिट याचिका सं. 184/2025 में इस न्यायालय द्वारा पारित 18.03.2025 दिनांकित आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए तथा आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए।

6. हमने पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा पुनर्विलोकन याचिका, रिट अपील और रिट याचिका के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

7. अभिलेख के परिशीलन से यह पता चलता है कि रिट याचिका (सेवा) सं. 3492/2018 पर अधिवक्ता श्री विनीत कुमार पाण्डेय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष बहस किया गया था। रिट अपील सं. 184/2025 में अन्य अधिवक्ता, श्री बी. पी. शर्मा एवं श्री समीर उरांव, द्वारा बहस किया गया था और वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका अधिवक्ता श्री रोहिताश्व सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है।

8. तमिलनाडु विद्युत मण्डल व एक अन्य बनाम एन. राजू रेड्डियार और व एक अन्य "1997 (9) एस. सी. सी. 736 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग अधिवक्ता को नियुक्त करके पुनर्विलोकन याचिका दायर करने की प्रथा की निंदा की थी। अपने निर्णय की कण्डिका 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया जाता है कि:-

“1. यह एक दुखद दृश्य है कि पेशे के लिए अनुपयुक्त और अनुकूल नई प्रथा विकसित हो रही है। श्री मरियापुथम, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने पर याचिकाकर्ता-उत्तरवादी के लिए वकालतनामा प्रस्तुत किया था। मामले के निपटारे के बाद, अधिवक्ता श्री



वी. बालचंद्रन ने पुनर्विलोकन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की थी। उसे भी इस न्यायालय ने 24 अप्रैल, 1996 को खारिज कर दिया था। एक अन्य अधिवक्ता, श्री एस. यू. के. सागर, अब इस विशिष्ट अभिवाक् पर कि आदेश स्पष्ट और असंदिग्ध नहीं है, "स्पष्टीकरण के लिए आवेदन" के रूप में वर्तमान आवेदन दायर करने हेतु नियुक्त किए गए हैं। जब एक अपील/विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है, दुर्लभ मामलों को छोड़कर जहां अभिलेख पर विधि या तथ्य की त्रुटि स्पष्ट है, तो कोई पुनर्विलोकन याचिका दायर नहीं की जा सकती है; वह भी उन एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड जो मुख्य प्रकरण में न तो उपस्थित हुए थे और न ही उसमें पक्षकार थे। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि न्यायालय किसी प्रकरण का निर्णय करने में मूल्यवान समय खर्च करती है। पुनर्विलोकन याचिका गुण-दोष के आधार पर मामले की फिर से सुनवाई का प्रयास नहीं है और न ही होना चाहिए। दुर्भाग्य से, हाल के दिनों में, इस तरह की पुनर्विलोकन याचिकाओं को नियमित रूप से दायर करना एक प्रथा बन गई है; वह भी, अधिवक्ता के परिवर्तन के साथ, पहले स्तर में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना। यह बार के उचित अभ्यास के लिए अनुकूल नहीं है, जिसके पास पेशे के हितकारी अभ्यास को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। सी.ए. सं. 1867/92 में पुनर्विलोकन याचिका सं. 2670/96 में, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ, जिसके हम में से एक, जे. के. रामास्वामी, सदस्य थे, ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"अपील के अभिलेख से संकेत मिलता है कि श्री सुदर्शन मेनन को सुना गया और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया। पुनर्विलोकन याचिका श्री प्रबीर चौधरी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो अपील की सुनवाई के समय न तो बहस करने वाले अधिवक्ता थे और न ही बहस के समय उपस्थित थे। यह अज्ञात है कि किस आधार पर उन्होंने पुनर्विलोकन याचिका में आधार लिखे हैं



जैसे कि यह हमारे आदेश के विरुद्ध अपील की फिर से सुनवाई है। उन्होंने पुनर्विलोकन के दायरे तक सीमित नहीं रहे हैं। इस तरह के अभ्यास की अनुमति देना पेशे के हित में नहीं होगा। एक भाग है कि उसने अपील में अधिवक्ता से “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” इस तथ्य के बावजूद प्राप्त नहीं किया है कि रजिस्ट्री ने उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता के विषय में सूचित किया था। “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना उनके अभिलेख (रिकॉर्ड) पर आने का आधार होगा। अन्यथा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड न्यायालय के प्रति जवाबदेह होता है। पूर्व अधिवक्ता से “अनापत्ति प्रमाणपत्र” प्राप्त करने में विफलता ने उन्हें पुनर्विलोकन याचिका दायर करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अन्यथा भी, पुनर्विलोकन याचिका में कोई सार नहीं है; यह गुण-दोष के आधार पर मामले पर फिर से बहस करने का प्रयास है।

इन आधारों पर हम पुनर्विलोकन याचिका को खारिज करते हैं।”

9. “विनीता भटनागर बनाम भारत संघ” 2018 एस.सी.सी. 6411 जिसका एन राजू रेड्डीयार (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अनुसरण किया गया है, में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि :-

“1.यह सुस्थापित है कि पुनर्विलोकन आवेदन किसी ऐसे अधिवक्ता द्वारा दायर नहीं किया जाना चाहिए था जिसने मामले पर बहस नहीं की है बल्कि उसी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जिसने पहले मामले पर बहस की है। टी. एन. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम एन. राजू रेड्डीयार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक किसी अधिवक्ता द्वारा मामले में बहस किए जाने तथा किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन याचिका की पैरवी करने की प्रथा की निंदा की है तथा टिप्पणी की है कि पुनर्विलोकन आवेदन को उन्हीं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत



किया जाना चाहिए था जिन्होंने मामले में बहस की है।”

10. जय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, आवास और शहरी योजना व अन्य” 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 4490 के एक अन्य मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ कण्डिका 20 और 21 में अभिनिर्धारित किया है कि:-

“20. 30.03.2012 को निर्णीत उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अनिल कुमार मिश्रा शीर्षक वाली पुनर्विलोकन याचिका दोषपूर्ण सं. 281/2008 में, इस न्यायालय ने बाद में नियुक्त किए गए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया। उपरोक्त निर्णय का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“श्री उमेश चंद्र, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि तमिलनाडु विद्युत मण्डल बनाम एन. राजू रेड्डियार, (1997) 9 एस.सी.सी. 736 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को देखते हुए, पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि श्री मनोज सिंह, अधिवक्ता जिन्होंने पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की है, न तो पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे और न ही रिट याचिका में उनकी ओर से तर्क किया था। अतः पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय नहीं है और उक्त आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

* * *

वर्तमान प्रकरण में विधि के उपरोक्त सुस्थापित प्रतिपादन को लागू करते हुए, मुझे 1997 की रिट याचिका सं. 1827 (एस. एस.) में पारित निर्णय और आदेश की पुनर्विलोकन के लिए प्रश्नाधीन प्रकरण



में पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिलता है, और यह भी कि तमिलनाडु विद्युत मण्डल बनाम एन. राजू रेड्डी, (1997) 9 एस. सी. सी. 736 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को देखते हुए, यह खारिज किए जाने योग्य है।

21. विनीता भटनागर बनाम भारत संघ, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 6411 के प्रकरण में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का अनुसरण किया है, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

“यह सुस्थापित है कि एक पुनर्विलोकन आवेदन एक ऐसे अधिवक्ता द्वारा दायर नहीं किया जाना चाहिए था जिसने मामले पर बहस नहीं की है, परन्तु उसी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने मामले पर पहले बहस की है। तमिल नाडु विद्युत मण्डल बनाम एन. राजू रेड्डीयार (1997) 9 एस. सी. सी. 736 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी एक अधिवक्ता द्वारा मामले में बहस करने और किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन याचिका की पैरवी करने की प्रथा की निंदा की है और कहा है कि पुनर्विलोकन आवेदन उसी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए था जिसने मामले में तर्क दिया है।”

11. वर्तमान प्रकरण में भी, इससे पहले पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में श्री विनीत कुमार पाण्डेय को एकल न्यायाधीश के समक्ष अपने प्रकरण में पैरवी करने हेतु नियुक्त किया था। इस न्यायालय के समक्ष रिट अपील में, उसने अन्य अधिवक्ता, श्री बी. पी. शर्मा और श्री समीर उरांव को नियुक्त किया और पुनर्विलोकन याचिका में उसने एक अन्य अधिवक्ता, श्री रोहिताश्व सिंह को नियुक्त किया, जिन्होंने 18.03.2025 दिनांकित आदेश के पुनर्विलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। रिट अपील में उस अधिवक्ता द्वारा



अभिवाक् और तर्क किया गया था जो विद्वान एकल न्यायाधीश के सामने उपस्थित नहीं हुए थे और यहां पुनर्विलोकन याचिका में नहीं हैं। अधिवक्ता, जो वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका पर बहस कर रहे हैं, ने रिट अपील में कोई तर्क नहीं किया है। जब रिट अपील की सुनवाई की गई थी तब वर्तमान अधिवक्ता न तो बहस करने वाले अधिवक्ता थे और न ही वे बहस के समय उपस्थित थे। इस तरह के चलन की अनुमति देना न्याय के हित में नहीं होगा।

12. मामले का एक अन्य पहलू यह है कि, 18.03.2025 दिनांकित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे 08.08.2028 को खारिज कर दिया गया है। वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका में लिए गए आधार विशेष अनुमति याचिका में लिए जा सकते थे क्योंकि पुनर्विलोकन के अधीन आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत है परन्तु पुनर्विलोकन याचिका में ऐसा कोई दावा नहीं है कि पुनर्विलोकन याचिका में लिया गया आधार भी विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लिया गया था। विशेष अनुमति याचिका को पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के लिए कोई स्वतंत्रता सुरक्षित रखे बिना खारिज कर दिया जाता है। यद्यपि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खोड़े डिस्टिजरीज़ लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह विधि प्रतिपादित किया है कि, विशेष अनुमति याचिका को प्रारंभ में ही खारिज कर दिए जाने के बाद भी, पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार्य होगी; फिर भी, प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए, पुनर्विलोकन याचिका दायर करने वाले को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। खोड़े डिस्टिजरीज़ लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, पुनर्विलोकन याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि उच्च न्यायालय ने ऐसा अनुतोष प्रदान किया था जिसकी मांग उत्तरवादी सं. 1 ने वाद में नहीं की थी जबकि प्रस्तुत प्रकरण में, पुनर्विलोकन याचिका दायर करने वाला आक्षेपित आदेश की कण्डिका 5 में की गई टिप्पणी के आधार पर पुनर्विलोकन की मांग कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह कथन कि जांच



प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को 09.06.2016 को प्राप्त हुई थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

13. आक्षेपित आदेश की कण्डिका 5 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि 09.06.2016 को, याचिकाकर्ता को जांच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त हुई थी बल्कि यह टिप्पणी की गई है कि "रिट अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना, विभागीय जांच करने के बाद, सीधे दण्ड का आदेश पारित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जाँच प्रतिवेदन 09.06.2016 को प्रस्तुत किया गया था और सीधे आदेश पारित कर दिया गया है। शास्ति अधिरोपित करने से पहले याचिकाकर्ता, जिसके विरुद्ध दण्ड प्रस्तावित किया गया था, को उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।" इस प्रकार, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा 18.03.2025 दिनांकित आदेश के पुनर्विलोकन के लिए लिया गया आधार पूरी तरह से गलत है।

14. पुनर्विलोकन अधिकारिता का दायरा अब अनिर्णीत विषय नहीं है और यह अनेक निर्णयों के माध्यम से सुस्थापित है कि पुनर्विलोकन के आवेदन को गुण-दोष पर प्रकरण पर नए सिरे से बहस करने का अवसर नहीं माना जा सकता है। पुनर्विलोकन आवेदन की आड़ में गुण-दोष के आधार पर अपील की फिर से सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

15. "तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश सरकार" ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1372, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "पुनर्विलोकन किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है, जिसके द्वारा एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार की जाती है बल्कि यह केवल स्पष्ट त्रुटि के लिए निहित है।"



16. "मेसर्स नॉर्दन इंडिया (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर" 1980 (2) एस. सी. सी. 167 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

"पुनर्विलोकन के लिए एक अभिवाक्, जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से विकृत न हो, चंद्रमा को मांगने के समान है। एक फॉरेंसिक हार का बदला खामियों की खोज और परिणाम के उलट होने की उम्मीद के कारण दूसरी बार देखने के निमंत्रण से नहीं लिया जा सकता है। अधिवक्ता के विचार-प्रक्रिया में एक पुनर्विलोकन एक बार दिए जा चुके निर्णय को बदल नहीं कर सकता है। इसलिए निर्धारित विधि को शांति से रहना चाहिए।"

17. सज्जन सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

"पक्षकारों को केवल प्रकरण के पुनर्विलोकन और नए निर्णय के उद्देश्य से इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय के पुनर्विलोकन की मांग करने का अधिकार नहीं है। सामान्य सिद्धांत कि इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय अंतिम होंगे, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जब तक कि एक ठोस और सम्मोहक चरित्र के विचार ऐसा करना आवश्यक नहीं बनाते हैं।"

18. "परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य" 1997 (8) एस. सी. सी. 715 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कण्डिका 9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्विलोकन के लिए खुला हो सकता है यदि अभिलेख पर त्रुटि स्पष्ट है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की



प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही अभिलेख पर एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो न्यायालय को आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी शक्ति पुनर्विलोकन का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की "पुनः सुनवाई और सुधार" की अनुमति नहीं है। एक पुनर्विलोकन याचिका, यह याद रखना चाहिए, कि इसका उद्देश्य सीमित है और इसे "भेष बदलकर अपील" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

19. "मेसर्स शांति कंडक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत मण्डल" 2020 (2)

एस. सी. सी. 677 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर अभिनिर्धारित किया कि:-

"पुनर्विलोकन का दायरा सीमित है और पुनर्विलोकन की आड़ में याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों को पुनः प्रस्तुत करने और पुनः बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर पहले ही विचार किया जाकर उन्हें निर्णीत किया जा चुका है।"

20. "कमलेश वर्मा बनाम मायवती" 2013 (8) एस. सी. सी. 320 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कण्डिका 19 में अभिनिर्धारित किया है कि:-

"19. पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ अपील के माध्यम से नहीं होती हैं और इन्हें आदेश 47 नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के दायरे तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। पुनर्विलोकन अधिकारिता में, निर्णय के दृष्टिकोण के साथ केवल असहमति उसे को लागू करने का आधार नहीं हो सकती है। जब तक इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जाता है और इसका जवाब दिया जाता है, तब तक पक्षकारों को इस आड़ में आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने का अधिकार नहीं है



कि पुनर्विलोकन अधिकारिता के तहत एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है।"

21. उपरोक्त विवेचन से और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 18.03.2025 को रिट अपील के खारिज होने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 18.03.2025 दिनांकित आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को भी 18.03.2025 दिनांकित आदेश के माध्यम से 08.08.2025 को खारिज कर दिया गया है और आक्षेपित आदेश के पुनर्विलोकन के लिए पुनर्विलोकन याचिका में लिए गए आधार गलत हैं। अभिलेख पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और रिट अपील में तर्क करने वाले अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत नहीं की है और यह व एक अन्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता गलत धारणा वाली पुनर्विलोकन याचिका दायर कर न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहा है, वह भी एक अलग अधिवक्ता नियुक्त करके। अतः पुनर्विलोकन याचिका रु. 2 लाख के वाद-व्यय (कौस्ट) के साथ खारिज किए जाने योग्य है परन्तु चूंकि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की तुच्छ पुनर्विलोकन याचिका दायर करने के लिए बार-बार मौखिक बिना शर्त माफी मांगी है, उसे देखते हुए, न्यायालय इस तरह की प्रथा का अपमान किए जाने पर यह उचित समझता है कि ऐसी प्रथा को खत्म करने के लिए रु. 50, 000/- का वाद-व्यय अधिरोपित किया जाए, जो इस न्यायालय की रजिस्ट्री में याचिकाकर्ता द्वारा देय है और इसे सरकारी विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, गरियाबंद (छ.ग.) को प्रेषित किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा आज से एक महीने के भीतर वाद-व्यय की राशि जमा की जाए, जिसमें विफल रहने पर इस न्यायालय के महानिबंधक (रजिस्ट्रार जनरल) द्वारा विधि के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के रूप में इसकी वसूली की जाएगी।

22. तदानुसार, पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।



सही/-
(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

शीर्ष टिप्पण

1. अभिलेख पर किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि के बिना पुनर्विलोकन याचिका दायर करने की प्रथा, वह भी अधिवक्ता के परिवर्तन के साथ बार के स्वस्थ अभ्यास के लिए संचारी नहीं है, जिसमें पेशे के लाभप्रद अभ्यास को बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

2. पुनर्विलोकन का दायरा सीमित है। पुनर्विलोकन की आड़ में याचिकाकर्ता को प्रकरण को फिर से शुरू करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे पर पहले ही विचार किया जाकर निर्णीत किया जा चुका है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।